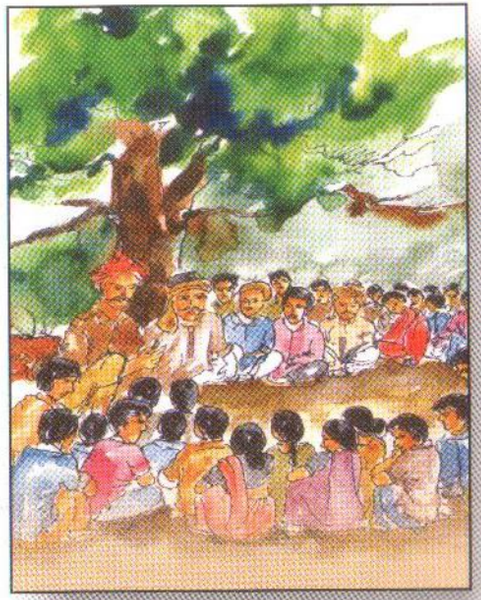

भारतीय पर्यावरण समिति

यू–112, तृतीय तल, विधाता हाऊस, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092
फोन : 22046823, 22046824, 22450749 फैक्स : 22523311
ई–मेल : iesenro@vsnl.com / ebox@iesglobal.org
वेबसाईट : www.iesglobal.org

पंचायती राज एवं महिलाएं

Panchayati Raj & Women

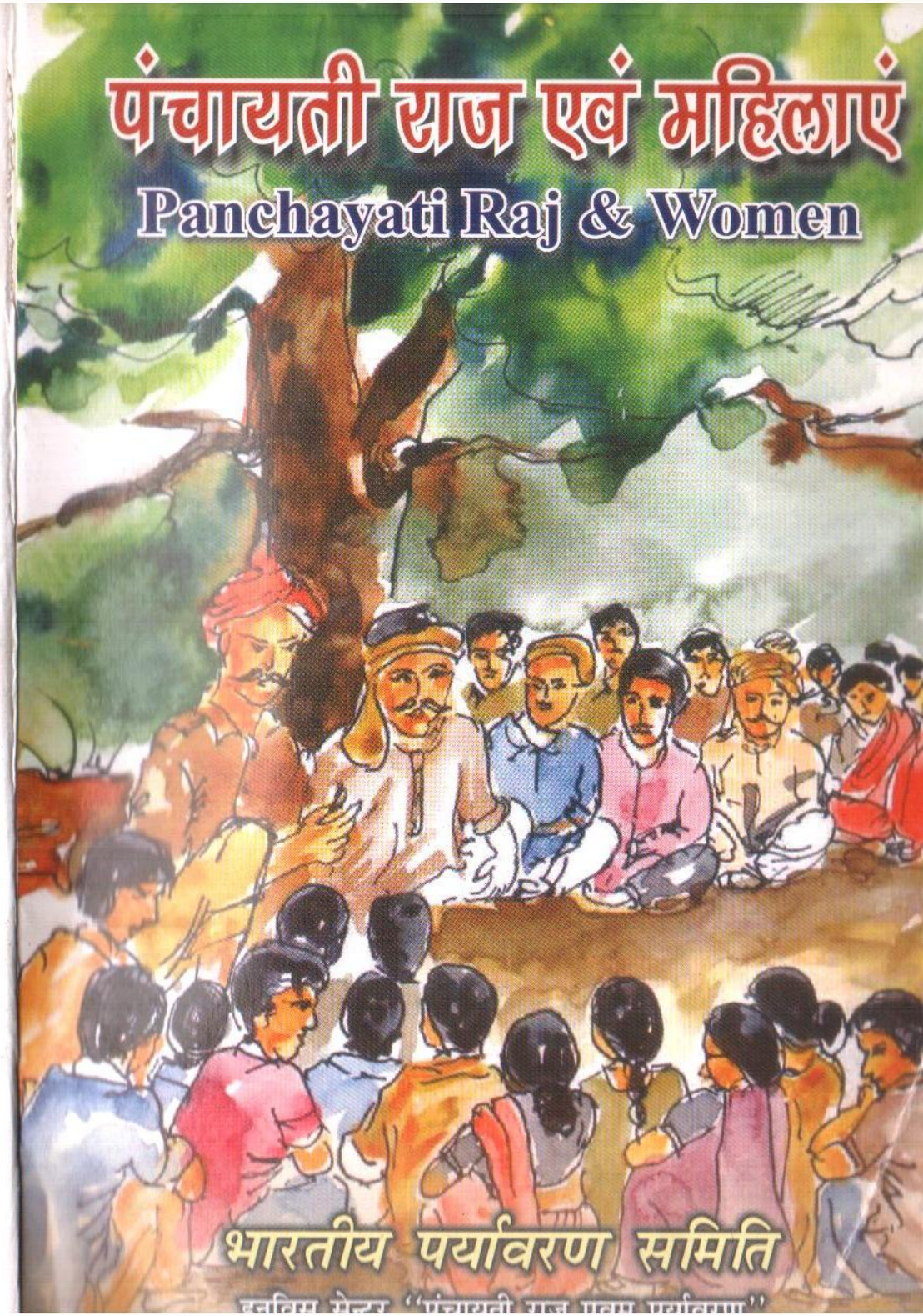

भारतीय पर्यावरण समिति

पंचायती राज एवं महिलाएं

Panchayati Raj & Women

भारतीय पर्यावरण समिति
इनविस सेन्टर ''पंचायती राज एवम् पर्यावरण''
दिल्ली

आप इस पुस्तक का निःशुल्क प्रयोग कर सकते हैं।
इस पुस्तक का प्रकाशन भारतीय पर्यावरण समिति के इनवीस सेन्टर "पंचायती राज एवम् पर्यावरण" द्वारा किया गया है

साभार
इनवीस सचिवालय, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, नई दिल्ली

भारतीय पर्यावरण समिति
यू–112, तृतीय तल, विधाता हाऊस,
विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली–110092
फोन : 22046823, 22046824, 22450749
फैक्स : 22523311
ई–मेल : iesenro@vsnl.com
वेबसाईट : www.iesglobal.org
Envis Website : www.iespanchayat.org

मुद्रक
टाईम्स प्रेस
910, जटवारा स्ट्रीट, दरियागंज,
नई दिल्ली–110002
फोन : 55755777, 23285286

प्रस्तावना

पंचायती राज भारत की प्राचीन परम्परा है। वेदों के काल से ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाएं कार्यरत रही हैं।

पंचायत एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निवासियों एवम् केन्द्र व राज्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। अस्सी के दशक में संविधान संशोधन की दिशा में कार्य किए गए। 1992 में सविधान में 73वां संशोधन किया गया और इसमें महिलाओं को पंचायती राज में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नए संविधान में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

73वें संशोधन के पश्चात महिलाओं की भागीदारी को पंचायती राज में बढ़ावा दिया गया। महिलाओं को इस बात से जागृत कराया गया कि वह एक अलग पहचान है। नई पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को सदस्यों के रूप में स्थान दिया गया। पंचायत द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय में महिलाओं की सशक्त भागीदारी है। उन्हें किसी भी विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में निर्णय लेने का अधिकार है। वे जानती है कि किस प्रकार से कठिन परिस्थिति से निपटा जा सकता है।

आज की पंचायती राज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। घरेलू समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी होने के कारण इन विषयों से जुड़ी समस्याओं की अच्छी समझ होती है। इसलिए जब कभी भी पंचायत में कोई भी घरेलू समस्या उठाई जाती है तो उसका समाधान सरल हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों में भी महिलाओं का योगदान कम नही है। आज महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम मिला कर चल रही है चाहे वह क्षेत्र शिक्षण का हो या फिर तकनीकी कौशल दिखाने का।

भारतीय पर्यावरण समिति ने इस पुस्तक में विभिन्न राज्यों से कुछ उदाहरण पेश किए हैं जिनमें महिलाओं ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आशा है कि यह पुस्तिका महिला जागृति में और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने मे सहयोग देगी।

डा॰ देशबन्धु
अध्यक्ष
भारतीय पर्यावरण समिति

पंचायती राज एवं महिलाएं

आरम्भिक समय में 1915 में गांधी जी ने भारत वापस आने के बाद ग्रामों में पंचायतों के पुर्नउत्थान पर बहुत बल दिया तथा ग्राम स्वराज स्थापित किए जाने का स्वप्न देखा। वे निश्चित तौर पर सोचते थे कि असली भारत सात सौ हजार ग्रामीणों तथा असंचय गांवों में रहता है तथा भारत का अपने नाम के मुताबिक तब तक कोइ अस्तित्व नहीं है जब तक गांव देश के जीवन के लिए पूर्ण भागीदारी न निभाएं।

गांधी जी ने मेरा स्वप्न में लिखा है कि यदि मेरा स्वप्न पूरा होगा तो गांवों में रहने वाले ग्रामीण पूर्ण रूप से गणतांत्रिक कहलाएंगे। कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, किसी को भी काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। सभी को पूरा भोजन मिलेगा, रहने के लिए घर, सबके तन को ढ़कने के लिए कपड़ा खादी होगा तथा गांव में रहने वाले सभी लोगों को सफाई तथा पोषण के नियमों की पूर्ण जानकारी होगी।

गांधी जी का ग्राम स्वराज का स्वप्न टूट गया जब हमारे संविधान के निरधारकों ने पंचायती राज को संविधान के निति निदेशक सिद्धान्तों में डाल दिया। आम आदमी पर प्रतिबंध लगा दिया जिसके फलस्वरूप, ग्रामीण आंचल पूरी तरह से सरकार के नकारात्मक व्यवहार का शिकार हो गया। परिणामस्वरूप, समाज में बिखरी तथा उत्तेजित सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई।

1992 में स्थानीय संगठनों के पुर्नउत्थान के विचार को मन में लेकर राज्य स्तर से नीचे एक नए तंत्र का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संविधान संशोधन संसद में पास किया गया। जिसमें पंचायतों को दृढ़ता तथा पुर्नास्थापना प्रदान करने की दिशा में कार्यकारी कदम उठाया गया।

73वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित अनुबंधों पर खास ध्यान दिया गया है :

- हर पांच वर्ष के पश्चात ग्रामीण, माध्यमिक, तथा जिला स्तर पर लगातार चुनाव
- महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 33 प्रतिशत स्थानो का आरक्षण

नए संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए खास प्रावधान हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है महिलाओं के लिए किसी भी सरकारी संस्थान में कार्यकारी सदस्य के रूप में तथा एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 33 प्रतिशत का आरक्षण।

73वें संशोधन के पश्चात स्थिति पूर्ववत नहीं रही, समाज के स्तर में बहुत बदलाव आया है। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं को इस बात के लिए जागृत किया गया कि वे एक व्यक्ति विशेष हैं उनकी एक अलग पहचान है। महिलाओं को इस बात का एहसास दिलाया गया कि वे सबसे उत्तम हैं, तथा उनके अंदर भी कुछ खास गुण हैं जो कि उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने में सहायक हैं।

73वें संशोधन के पश्चात महिलाओं को इस बात का एहसास हुआ कि वे पुरूष की बनाई बेड़ियां तोड़ कर स्वच्छंद रूप से समाज में भागीदारी निभा सकती हैं। समाज की स्थिति बदलने पर महिलाओं को स्वय को स्थापित करने को मौका दिया गया। अब वे किसी भी सामाजिक कार्य में भाग ले सकती हैं। किसी भी प्रकार के निर्णय को स्वयं लेने में सक्षम हैं। वे जानती हैं कि किस प्रकार से कठिन परिस्थिति से निपटा जा सकता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कदम रख रही हैं चाहे वह क्षेत्र शिक्षण का हो अथवा तकनीकी कौशल दिखाने की बात हो।

ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाओं के योगदान को बढ़ावा दिया गया। आज महिलाओं की पंचायत में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाएं पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी को बढ़ावा देने पर अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वयं को सक्षम महसूस करने लगी हैं तथा उन में स्वाववलम्बन का भाव फलीभूत हो रहा है।

महिलाएं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

भारत में महिलाएं लगभग आधे कृषि क्षेत्र में भागीदारी करती हैं। उनका योगदान, भूमि में फसल लगाने से फसल काटने तक है। उनकी भागीदारी का प्रतिशत निर्भर करता है कि किस प्रकार की फसल उगाई जा रही है, तथा भूमि किस प्रकार की है। इसके अतिरिक्त महिलाएं महत्वपूर्ण रूप से बीज का चुनाव करने तथा छोटे छोटे पौधों के रोपण आदि कार्य कौशलपूर्वक ढंग से करती हैं। फसल कटाई, खरपतवार हटाना, फसल प्रबंधन आदि में सहायता करती हैं। हरी खाद बनाने तथा खेतों में डालने में सहायता करती हैं। जब से पूर्ण कीट प्रबंधन लागू हुआ है तब से महिलाओं का कार्य तीव्रता से बढ़ गया है।

पशु समुदाय, देश के लिए बहुकोणिय भूमिका निभाता है। यह ढाचा प्रदान करता है– खेत के लिए, फसलों के लिए खाद, पकाने के लिए ऊर्जा तथा घर में प्रयोग किए जाने वाले भोजन के रूप में। इन सब कार्यों को करने में महिलाएं अपवत्य भूमिका निभाती हैं। कुछ खास काम हैं जो कि केवल वे ही कर रही हैं।

- ❒ पशुओं की देखभाल करना
- ❒ चारा एकत्रित करना

- ❒ गोबर एकत्रित करना
- ❒ गोबर के उपले बनाना जलाने के लिए

❒ कुछ दुग्ध व्यवसाय के 93 प्रतिशत में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी है।

महिलाएं आमतौर पर जंगलों से वेतन रोजगार आर्जित करती हैं। सामुदायिक वृक्षारोपण में भागीदारी, वनों का पुर्नजीवन तथा कृषि वानिकी के उत्पादनों को एकत्रित करने में सहायता करती हैं। वन प्रबंधन जैसे कार्यों में भी भाग लेती हैं।

इस के अतिरिक्त गैर इमारती उत्पादों को एकत्रित करने में, औषधियां, इमारती सामान, खेत में प्रयोग में लाए जाने वाले साधन, साल तथा तेन्दू पत्तों आदि को एकत्रित करने के कार्यों में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती हैं। वे अच्छी तरह से जानती हैं कि किस उत्पाद को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाना है।

भारत, विश्व के खास मछली उत्पादक देशों में से एक है। तकरीबन 50 लाख लोग मत्स्यपालन के उद्योग में जुडे हुए हैं। महिलाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी निभाती हैं। महिलाओं का कार्य क्षेत्र विभिन्न स्थानो पर अलग अलग है। जैसे कि :

- ❒ मछली सूखाना
- ❒ सुरक्षित करना
- ❒ हाथ से बनाए गए जाल की देखभाल करना
- ❒ जलचरों के शरीर से सख्त कवच हटाने तथा इकट्ठा करने का कार्य करना

महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए वन प्रबंधन, वन रोपण, भूमि–उर्वरक उत्पादन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण, जल निकायों की साफ सफाई, हरित पट्टी का विकास आदि कार्यों में अपना योगदान देती हैं।

पर्यावरण ह्रास से प्रभावित होने वालों में महिलाएं सबसे ऊपर इसलिए हैं, क्योंकि वनों के ह्रास का सबसे बुरा असर महिलाओं के कामकाज पर पड़ता है। जल की कमी के कारण उन्हें जल की खोज में अधिक दूर जाना पड़ता है। तथा जल को ढो कर लाने का समय अंतराल बढ़ जाता है। जिसके कारण उन के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं।

सभी समस्याओं के हल के रूप में महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाना बहुत सार्थक सिद्ध हुआ है। महिलाओं ने सजग भागीदारी के साथ हर काम में हाथ बंटाना आरम्भ कर दिया है।

पंचायतों में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं घरेलू समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी होने के कारण इन विषयों से जुडी समस्याओं की अच्छी समझ होती है इसलिए जब कभी भी पंचायत में कोई भी घरेलू समस्या उठाई जाती है तो उसका समाधान सरल हो जाता है।

पंचायत का निर्वाचित सदस्य होने के कारण महिलाओं की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं :

- ❒ सार्वजनिक समस्याओं का निपटारा

- ❒ घरेलू समस्याओं का निपटारा करना
- ❒ नई तकनीकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना
- ❒ भविष्य के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना

पंचायत में महिलाओं की भागीदारी से महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। उनकी भागीदारी के फलस्वरूप ग्राम स्वराज का स्वप्न पूरा हो सकेगा।

पंचायत में महिला–प्रतिनिधित्व के आ जाने से ग्रामीण महिलाओं में राजनेतिक चेतना का प्रसार हुआ है। जब महिलाएं महिलाओं का चुनाव करेंगी तो निश्चित रूप से उनमें इस भावना का संचार होगा कि एक दिन वह भी चुनी जा सकती हैं और जब उनमें चुनाव के संबंध में चेतना उत्पन्न होगी तो निःसन्देह वह इस बात पर ध्यान देंगी कि कौन सी महिला उनका सही प्रतिनिधित्व करेगी। अतः प्रतिनिधित्व सही व वास्तविक होगा।

महिला प्रतिनिधियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अशिक्षा/अल्प शिक्षा, जागरूकता की कमी, निर्वाचित महिलाओं पर परिवारिक दवाब, पुरूष संबंधियों पर निर्भरता, निर्धनता, जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार, अफसरशाही द्वारा महिला प्रतिनिधियों की उपेक्षा, अविश्वास का प्रस्ताव, सामंतवाद का वर्चस्व इत्यादि।

पंचायतों में गूंजते महिलाओं के स्वर

महिलाऐं पंचायत में भागीदारी मिलने के पश्चात ग्राम विकास तथा पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यकारी भूमिका निभा रही हैं। इस पुस्तक के द्वारा हम विभिन्न राज्यों में महिलाओं की भागीदारी के कुछ उदाहरण पेश कर रहे हैं।

प्रत्येक राज्य में महिलाऐं अपने अपने कार्य क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्रा प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल, असम, राजस्थान आदि राज्यों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)

उदाहरण 1

उत्तरप्रदेश में मऊ के लठिया गांव में महिला प्रतिनिधियों ने गांव की महिलाओं को संगठित करके गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले रास्ते पर सड़क का निर्माण करके गांव के लोगों को शहर से जोड़ दिया। लठिया के वासी पिछड़े समुदाय के हैं। गांव में सामान्य आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क तथा पानी का अभाव है। गांव एक नाले के कारण मुख्य सड़क से अलग थलग है। नाला मुख्य सड़क के सामानान्तर है। हरिजन समुदाय कटघारा को परंवा लठिया को मुख्य सडक से पृथक रखता है। गांव वाले नाला पार करके ही मुख्य सड़क पर जा सकते हैं बरसात के दिनों में नाले का तेज प्रवाह लाठिया व कटघारा निवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। बीते हुए कुछ सालों में बरसात के समय अनेक बच्चे नाले के प्रवाह में बह गए। बीमारी के समय मरीज को कंधे पर ले जाना पड़ता था। उनमें से अधिकांश रास्ते मे दम तोड़ देते थे।

लठिया में महिला मंगल दल बनाया गया जिससे कि महिलाओं को संवेदित किया जा सके और जागरूकता लाई जा सके ताकि वे अपना विकास स्वय कर सकें। महिलाओं के समूह ने लिंक रोड की बात अमर शहीद चेतना संस्थान के कार्यकर्ताओं के सामने रखी। मनोरमा देवी ने उन्हें सड़क स्वंय बनाने के लिए उत्साहित किया। कुछ प्रयासों के बाद महिलाओं ने सड़क निर्माण का कार्य आरम्भ किया। पास में ही स्थित बढ़े टीले से मिट्टी काट काट कर रास्ते पर फेंकी गयी। जल्द ही महिलाओं ने कटघारा गांव तक आधा रास्ता तय कर लिया। निर्माण कार्य इस कारण से कुछ दिनों तक रूका रहा क्योंकि गांव में विवाह का माहौल चल रहा था।

स्थानिय राजनिति ने कटघारा के हरिजनों को फुसलाया। हरिजन उनके प्रभाव में आ गए और उन्होंने लठिया से आते हुए विवाह जुलूस को रोका तथा सड़क का प्रयोग करने के लिए कर स्टैम्प मांगा। इससे हरिजन राजभार के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। हरिजनों ने लाठिया के निवासियों के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिर्पोट दर्ज कराई। राजभारों को न्यायालय से स्टे आर्डर लेना पड़ा। अन्ततः परिणाम यह हुआ कि सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही रूक गया। लठिया की महिलाएं एक बार फिर सामने आयी और उन्होनें झगड़े के निबटारे के रूप लिए धन एकत्रित किया। उसी समय वर्षा ऋतु के कारण सड़क को पूरा करने का प्रयास नही किया जा सका। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद महिलाओं ने सड़क पूरा करने का अपना संघर्ष जारी रखा।

अंततः लठिया की महिलाओं ने जीत के गौरव को प्राप्त कर सिद्ध किया कि "जहां चाह वहां राह" होती है।

उदाहरण 2

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील में ग्राम जोल की विल्कीस राना 25 वर्षिय नवनिर्वाचित प्रधान है। सुश्री राना आठवें दर्जा तक शिक्षित है, और महिलाओं के विकास के लिए गांव में बहुत कुछ करना चाहती हैं, दहेज उत्पीड़न बालिका हत्या व महिलाओं में अशिक्षा को एक अभिशाप मानती है। उनका कहना है कि गांव में बहुत कुछ करना चाहती है। गांव में ही लड़कियों के लिए एक अलग स्कूल की व्यवस्था हो ऐसा उनका कहना है। उनका प्रयास है कि गांव में ही लोग मिलजुल कर स्कूल के लिए भवन निर्माण में योगदान करें। अभी उन्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन भविष्य के लिए वह आशान्वित है। विल्कीस राना के पति प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करते हैं।

उदाहरण 3

मेरठ के शाहजहांपुर गांव में ग्राम प्रधान हुमैरा बेगम निर्वाचित सदस्या हैं। वे अपने सभी निर्णय स्वंय लेती हैं वे किसी प्रकार के कार्य के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं हैं। वे अभी, हाल ही में अखिल भारतीय प्रधान मण्डल की महासचिव भी नियुक्त की गई है। उनका मानना है कि प्रधान चुनी गई अन्य महिलाओं के लिए अभी भी स्वत्रंत रूप से काम करना मुश्किल है।

उदाहरण 4

दलित सरपंच सविता बहन की सफल संघर्ष गाथा

साबरकांठा के हिम्मत नगर से तीस एक मील दूर सढ़ा गांव की सविता बहन ग्राम की सरपंच हैं। सन् 1995 के चुनावों में बहुमत से विजेता रहीं। सविता बहन ने चुनाव के पश्चात ग्राम विकास के काम हाथ में उठाए हुए हैं। पंचायत के जमा कोष से ग्राम विकास के लिए सरपंच सक्षम है। सविता बहन ने इस जमा कोष का प्रयोग करके गांव की आवश्यकता के अनुरूप 1200 फुट की RCC सड़क बनावाई और 700 फुट की पाइप लाइन बिछवाई। पानी की टंकी बनवाई, गांव के लिए सामूहिक केन्द्र तथा बिजली मोटर भी लगवाई। गांव के असहाय लोगों को असहाय–सहायता योजना का लाभ दिलाया। उनके कार्यों से गांव वाले उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। किन्तु उनके इस कार्य से पंचायत के अन्य सदस्य उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि एक दलित महिला ग्रामीण विकास के कार्यों का यश लेलें। इसके फलस्वरूप उन पर हैण्ड पम्प के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए। उन पर हैण्ड पम्प के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया किन्तु हैण्ड पम्प बनाने वाले ठेकेदार ने अपने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया कि सविता बहन निर्दोष हैं। तब भी पंचायत के सदस्यों ने सविता बहन को तंग करना बंद नहीं किया। किन्तु वे सफल न हो सके। अन्ततः सबने मिलकर षड़यंत्र करके सरंपच के पद से उन्हे बर्खास्त कर दिया। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने हार नही मानी। उन्होंने अन्याय का बदला लेने के लिए अदालत में मुकद्दमा दायर कर दिया। अदालत ने चुनाव का आदेश दिया। 1998 अक्टूबर के चुनावों में पुनः वे भारी बहुमत से जीत गईं। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे एक सफल एवम् संघर्षशील महिला हैं।

उदाहरण 5

श्रीमति ओमवती ग्राम पंचायत बरलाजट, जिला मुज्जफरनगर की प्रधान है। श्रीमती ओमवती दलित समाज से हैं। ग्राम पंचायत में बोलबाला जाटों का है तथा उप प्रधान भी जाट है। उप प्रधान व पंचायत के अन्य सदस्यों ने मिल कर निर्वाचित महिला प्रधान को कहा कि तुम अनपढ़ हो तथा तुम्हें क्या पता कि प्रधानी क्या होती है। इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे दो। तुम पंचायत के सभी कागज हमारे हवाले कर दो। तुम संभाल नहीं पाओगी। सभी लोग एक साथ मिल कर महिला सरपंच से उसकी प्रधानी छीनने की कोशिश में लगे थे। जब वे सफल नहीं हो पाए तब उन्होंने महिला सरपंच तथा उसके परिवार को धमकाया तथा हमला करने की कोशिश भी की गई। तब उस महिला सरपंच ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। अंततः निर्भीक महिला प्रधान ने उप प्रधान को, जो उसे प्रधान के पद से हटाना चाह रहा था, 24 दिन जेल की सजा दिलवाई।

उदाहरण 6

ग्रामीणों ने तय की अपनी राह

चंदवारा के ग्रामीणों ने निर्वाचित पंचायत की उपेक्षा से क्षुब्ध होकर समानांतर पंचायत का गठन किया। नतीजा सबके सामने हैं।

बांदा जिला के यमुना नदी के किनारे बसा है एक गांव चंदवारा। बुन्देलखण्ड के तमाम गांवों की तरह यह गांव भी अनेक समस्याओं से ग्रसित है। लेकिन यह गांव एक मामले में अन्य तमाम गॉवो से भिन्न भी है। जहां अन्य गांवों में मुख्य फसल बारिश के दौरान होती है वहां एक गांव में बरसात के दौरान कृषि कार्य असंभव हो जाता है। कारण है मानसून के तीन महीनों के दौरान ग्रामवासियों की ज्यादातर कृषि यमुना की बाढ़ के पानी के तले रहती है। और रबी की फसल बुन्देलखण्ड की अन्ना प्रथा की भेंट चढ़ जाती है। अन्ना प्रथा के तहत पशुओं को चराई के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। ग्रामवासियों ने निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से बार–बार गुहार की कि वे उनकी फसलों की रक्षा करने में मदद करें। लेकिन पंचायत पर इन गुहारों का कोई असर नहीं हुआ। उधर ग्रामवासियों की विपन्नता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने छोटे–छोटे समूहों में फसलों की सुरक्षा पर चर्चा शुरू की। चर्चा का एक विषय होता था फसल की सुरक्षा कैसे की जाए। धीरे–धीरे छोटे समूह आपस में जुड़ते चले गए। चर्चा का दायरा बढ़ता गया। लगभग दो वर्षो पहले रबी की बुआई के पहले पूरे गांव की बैठक की गई। इस बैठक में फसलों को अन्ना जानवरों से बचाने के उपायों पर चर्चा की गई।

अंततः एक ऐसी ही बैठक में फसलों को बचाने की रणनीति बनाई गई। रणनीति के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने या किसी दूसरे के खेत से फसल का तिनका भी नहीं तोड़ेगा। यदि वह ऐसा करता है तो वह अर्थदण्ड का भागी होगा। सभी ग्रामवासी अपने पशुओं को बांध कर रखेंगे तथा उन्हें चारा देंगे। यदि किसी का पशु खुला पाया गया तो वह भी अर्थदण्ड का भागी होगा। फसलों की रखवाली के लिए चार चौकीदारों की नियुक्ति की गई। इन चौकीदारों के वेतन का भुगतान अर्थदण्ड से प्राप्त धन से किया गया।

पहले ही वर्ष इस प्रयोग के उत्साहजजनक परिणाम दिखाई दिए। अगली फसल के दौरान भी यही व्यवस्था लागू की गई। इस बार फर्क इतना था कि आस पास के गांवों के लोगों से भी कहा गया कि वे अपने पशुओं को बांध कर रखें। लेकिन इसके लिए पड़ोसी ग्रामीणों पर काफी दबाव बनाना पड़ा। कई मामलों में तो पड़ोसी गांव के पशुओं को कांजी हाउस में बंद भी करना पड़ा।

इस प्रयोग की जड़ें पचास के दशक में चल रही फसल सुरक्षा की व्यवस्था में तलाश की जा सकती हैं। लेकिन उस समय इस व्यवस्था को लागू करती थी तत्कालीन न्याय पंचायत। उस समय व्यवस्था को लागू किया जाता था उदाहरण प्रस्तुत करके। ग्रामवासी बताते हैं जब एक बार उस समय किसी व्यक्ति ने खेत से चने उखाड़े और उसने अर्थ दण्ड देने से इन्कार कर दिया। न्याय पंचायत के सामने समस्या थी जब्त किए चनों का किया क्या जाए। वे चने भूने गए तथा न्याय पंचायत के पदाधिकारियों ने उन्हें खाया। अगले दिन न्याय पंचायत के सरपंच ने अपने ऊपर पांच रूपये तथा सभी सदस्यों पर दो–दो रूपये का अर्थदण्ड लगाया। तब जाकर उस व्यक्ति ने अर्थदण्ड का भुगतान किया।

उदाहरण 7

मिले जुले अनुभव

पखनपुरा की ग्राम प्रधान रूखसाना एक खाते पीते घर से है तथा अपने अधिकारों, दायित्वों,

कार्यों के बारे में काफी कुछ जानती हैं। उनका कहना है कि उन्हें ग्रामवासियों, पंचायत सदस्यों तथा प्रशासन से और अधिक सहयोग चाहिए। दूसरी ओर सोनड़ी ग्राम पंचायत की सदस्या नेता कुमारी तिवारी अपनी प्रधान के असहायोगात्मक रवैये को कोसती हैं। मल्लूडीह ग्राम पंचायत की सदस्या अनारकली देवी एक चाय की दुकान चलाती हैं। जहां गांव के अधिकांश व्यक्ति एकत्र होते हैं एवं गांव के बारे में बातचीत करते हैं। इस तरीके से वह ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के सदस्यों के साथ संपर्क में रहती हैं। लेकिन दूसरे छोर पर हैं मैनपूर पकड़ियाड़ की ग्राम प्रधान अलेनिया जिन्होंने साफ स्वीकार किया कि वे पुरूष तथा महिला प्रतिनिधियों, पंचायत सचिव तथा पुरूष एवं महिला सरकारी अधिकारियों के संपर्क में नहीं रहतीं।

"क्या आप चुनाव लड़ेंगी" इस प्रश्न के कुछ रोचक उत्तर मिले। हालांकि गाजीपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष सीमा यादव तेज तर्रार महिला के रूप में जानी जाती हैं फिर भी उनका कहना था कि वह अगला चुनाव तभी लड़ेंगी जब सीट महिला के लिए आरक्षित होगी। सिसवां महल कुटी ग्राम पंचायत की सदस्या भुलुरी देवी का कहना था कि वे आगे से चुनाव नहीं लड़ेंगी लेकिन उन के पति साक्षात्कार के दौरान ही उन पर दबाव डाल रहे थे कि उन्हें अगला चुनाव लड़ना ही होगा क्योंकि उन के पति प्रधानी का सारा काम देखते हैं। राधिका इण्टरमीडिएट है उनका आठ महीने का बच्चा है तथा उन्हें ग्राम प्रधान के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य संभालना पड़ता है। प्रभावी पंचायत प्रतिनिधि बनाने के लिए आवश्यकताएं बहुत अलग–अलग होती हैं। इनमें से कुछ समुदाय के हितों से संबंधित हैं तथा शेष संकीर्ण व्यक्तिगत हितों से प्रेरित हैं। करमैनी प्रेमवलिया की ग्राम प्रधान टेटरी देवी ने महिलाओं के लिए दरी बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। लेकिन उन्हे दुःख है कि अगड़ी जाति के लोग अभी भी अछूत मानते हैं। फिर भी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से पंचायत के पुरूष भयभीत हैं तथा वे अब लगभग एकमत हैं कि आगे से वे ही पंचायत का चुनाव लड़ेंगे तथा सारा कार्य स्वंय करेंगे क्योंकि वे महिलाओं को बोलने तथा कार्य करने के लिए नहीं देना चाहते हैं। बेलवा पलकधारी सिंह ग्राम पंचायत की सदस्या गुलाबी देवी का सोचना है कि यदि गांव में ऐसी कोई परियोजना आ जाए जिससे कि गांव की सभी महिलाएं संयुक्त रूप से धनार्जन करने लगें तथा पुरूष भी जीवकोपार्जन करने लगें तो गांव का विकास हो जाएगा तथा ग्रामवासी हमें अच्छा प्रतिनिधि मानने लगेंगे। अंत में घमरौली ग्राम पंचायत की निरक्षर ग्राम प्रधान के विचार काफी महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना है कि प्रभावी प्रतिनिधि बनने के लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसके बाद आता है पर्याप्त धन जिससे विकास कार्य करवाए जा सकें तथा महिलाओं के लिए विशेष विकास के कार्यक्रम चलाए जा सकें।

उदाहरण 8

पंचायत प्रक्रियाओं में ऐसे सक्रिय हुई सोनिया-पुनिया

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का विकास खण्ड जसपुरा विकृत सांस्कृतिक जड़ता का जबरदस्त रूप से शिकार है। यहां महिलाओं पर पुरूषों से बात करना गलत माना जाता है त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला आरक्षण को भी लोगों ने नाकाम कर दिया था। महिला आरक्षित पदों पर परिवार के पुरूषों ने महिला को चुनाव में खड़ा किया वह जीत कर भी आई किन्तु क्या मजाल की वह अपने सचिव अथवा अन्य पंचायत प्रतिनिधि से बात भी कर सकें।

ऐसे चुनौती भरे माहौल में पंचायत अध्ययन एवं संदर्भ केन्द्र ने प्रयोग के तौर पर विकास खण्ड जसपुरा में पंचायत सशक्तिकरण हेतु काम प्रारम्भ किया। इन्ट्री प्वाइन्ट के रूप में पिछले वर्ष अगस्त में विकास खण्ड कार्यक्रम में ग्राम प्रधान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। तीस ग्राम पंचायतों वाले इस विकास खण्ड की ग्यारह महिला प्रधानों में से कोई इस प्रशिक्षण में आए यह तो दूर की बात है, केन्द्र द्वारा भेजे गए पत्र भी उन महिला प्रधानों तक नहीं पंहुचने दिए गए। सोनिया एकमात्र ऐसी प्रधान हैं जोकि अपने पति जयराज के साथ इस प्रशिक्षण में शामिल हुईं।

केन्द्र के कार्यकर्ताओं ने श्रीमती सोनिया को एक आशा की किरण के रूप में पाया। उन्हें हाथों हाथ लिया। तारीफ के पुल बांधे तथा प्रशिक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं में उनकी टूटीफूटी भाषा और लड़खड़ाते शब्दों को प्रशिक्षकों ने अपनी भाषा और अपने शब्द दे कर प्रोत्साहित किया। विभिन्न सत्रों में पुरूष प्रधानों को नियंत्रित रख सोनिया के लिए सुरक्षित तथा मर्यादित वातावरण बनाए रखा तथा समापन सत्र की अध्यक्षता भी सोनिया से करवाई। ग्राम प्रधान संघ के गठन में केन्द्र के कार्यकर्ताओं ने सोनिया के लिए थोड़ी सी पैरवी कर उन्हें ग्राम प्रधान संघ का उपाध्यक्ष मनोनीत करवा लिया।

प्रशिक्षण से गांव लौंटने के बाद सोनिया ने ये सारी बातें अपनी सखी पुनिया को बताई जोकि पढ़ी लिखी, थोड़ी जागरूक तथा अपनी पंचायत में निर्माण समिति की अध्यक्षा हैं। जिस तरह का अवसर सोनिया को मिला था उसके लिए पुनियां के मन में भी लालसा जागी। तभी ग्राम पंचायत स्तर पर एक दिवसीय पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण हेतु डाक द्वारा केन्द्र की ओर से एक पत्र पुनियां को भी मिल गया। पुनियां को भी अपनी मुराद पूरी होती नजर आई। केन्द्र के साथी जब प्रशिक्षण के लिए खप्टिहा खुर्द पहुंचे तो वहां का नजारा ही बदला हुआ था। यहां महिलाओं की संख्या पुरूषों से कहीं अधिक थी। प्रशिक्षण के दौरान भी सर्वाधिक सवाल महिलाओं की ओर से खड़े किये गये। केन्द्र के कार्यकर्ताओं ने ग्राम प्रधान प्रशिक्षण शिविर के दौरान जो किरण देखी अब वह प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई दे रही थी। खप्टिहा खुर्द ग्राम पंचायत पर खास ध्यान देना आरम्भ किया। सोनिया पुनियां के प्रयासों से आज गांव की बहुत सारी महिलाएं संगठित हैं तथा पंचायत प्रक्रियाओं में खुल कर भाग ले रही है।

उदाहरण 9

उत्साह महिला प्रधान

कलावती ग्राम मिरगढ़वा की प्रधान हैं। यह ग्राम विकास खण्ड कालाकांकर, तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश में है। कलावती जी ने पंचायत चुनाव जीतने के बाद ग्राम प्रधान का पद संभाला। कुछ समय तक इन्हें बाहर निकलने, किसी अधिकारी से बातचीत करने में झिझक, संकोच रहती थी, परन्तु इनके पति ने इनके कार्यों में सहयोग किया, जिससे ग्राम प्रधान की झिझक दूर हो पायी । इन्होंने इण्डियन रूरल टेक्नॉलोजी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के विभिन्न प्रशिक्षणों में भागीदारी लिया। तब इन्होंने प्रशिक्षणों के महत्त्व को समझा और प्रशिक्षण के लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में भी पंचायती राज का प्रशिक्षण हेतु सहभागी शिक्षण केन्द्र लखनऊ के माध्यम से प्रिया, नई दिल्ली द्वारा भोपाल में आयोजित *नागरिकता, सहभागिता एवं जनतंत्र* सम्मेलन में भी भागीदारी निभायी। इन्होंने इन प्रशिक्षणों एवं शौक्षिणिक भ्रमणों से अनुभव व ज्ञान प्राप्त किया।

ग्राम प्रधान कलावती ने सर्वप्रथम खुली बैठक में हुए निर्णय के अनुसार कार्य करना आरम्भ कर दिया। ग्राम सभा की खुली बैठक में सर्वप्रथम पंचायत भवन बनवाने का प्रस्ताव रखा गया था। कलावती जी बहुत संघर्ष के बाद पंचायत भवन बनवा पाई। पंचायत भवन बनवाने में मुकदमें बाजी भी हुई। पंचायत भवन बन गया परन्तु मुकदमा आज भी ग्राम प्रधान को लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा कार्य किया सभी पुरवों/वार्डों में खडंजा, पुल, नाली का निर्माण तथा शुद्धपेय के लिए सभी वार्डो में कुल 20 इण्डिया मार्क हैण्डपम्प की व्यवस्था करवाकर लगवाई। गरीबों के लिए इन्होंने 10 इंदिरा आवासों का भी निर्माण कराया है तथा बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत में स्वंय सहायता समूहों के गठन में सहयोग भी दिया गया है।

कलावती जी के ग्राम प्रधानी के कार्यकाल में बहुउद्देशीय कर्मी श्री हरिद्वारा प्रसाद मौर्य का पंचायत में पर्दापण हुआ जो शिक्षित एंव ईमानदार हैं। इनके आने से सभी रजिस्टर बनाए गये जिसकी वजह से कार्य में गति आने लगी। कार्तिकी पूर्णिमा का समय आ रहा था, खरीफ की खुली बैठक होने की तिथि भी घोषित हो गयी थी, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होनी थी। ग्राम सभा की खुली बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव किये गये कि विद्युत खम्भों में बल्ब तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए तथा अमावस्या, पूर्णिमा के दिन मेले से कर वसूला जाये जिससे ग्राम पंचायत को आमदनी हो सके। तीसरा प्रस्ताव आया कि राशन की दुकान से मिट्टी का तेल एवं राशन नहीं मिल पाता है, इसलिए कोटेदार को बदला जाये।

ग्राम प्रधान कलावती ने ग्राम सभा की खुली बैठक में लिए निर्णयों को गम्भीरता से लिया और सर्वप्रथम विद्युत खम्भों में बल्ब तथा स्ट्रीट लाइट लगवाने का सफल प्रयास किया। ग्राम प्रधान ने दूसरा कार्य कर वसूलने का भी प्रण किया। कार्तिकी पूर्णिमा को अपने कर्मचारियों द्वारा रुपये 2,100.00 की वसूली भी की तथा सम्पूर्ण खर्चों को कटौती करते हुए रूपये 594.00 ग्राम निधि खाते में जमा कर दिये गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत में कर वसूलने का कार्य सदैव के लिए जारी हो गया। तीसरे निर्णय की ओर ग्राम प्रधान अग्रसर है और राशन की दुकान नियमित एवं सुचारू रूप से अपनी सेवायें प्रदान करें इस दिशा में वे प्रयासरत हैं।

ग्राम प्रधान कलावती ने विकास कार्यों में कठिन परिश्रम से रूचि दिखाई है जो क्षेत्र में लोगों एवं कर्मचारियों द्वारा सराहनीय माना जा रहा है। परन्तु आने वाले पंचायत चुनाव में वे क्या दूबारा प्रधान बनकर आयेंगी, इसको तो वहां के ग्राम सभा के लोग ही तय करेगें।

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)

उदाहरण 1

मध्यप्रदेश में महिलाओं के समर्पित रूप से काम करने के अनेक उदाहरण है। श्रीमति लक्ष्मी उज्जाल, लाह सुरिया ग्राम पंचायत की सरपंच है। शुरू में सरपंच ने अपने पति की छाया में कार्य

कराना शुरू किया। लेकिन उसको अपना दब्बूपन पसन्द नहीं आया। अतः उसने स्वयं ब्लाक कार्यालय में जाकर अपनी पंचायत के विकास कार्यक्रमों की सूचना इकट्ठा करना आरम्भ कर दिया। जैसे उसका सम्बंध बाहर की दुनिया से होता गया, वैसे वैसे उसकी समझ पनपती गई। इसी समझ के कारण उसने ग्राम विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की तथा सामुदायिक रूप से गांव में मंदिर निर्माण करके पहल की तथा साक्षरता में अपनी लीडरशिप की धाक जमा दी। ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों को करने के लिए उसने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं।

उदाहरण 2

महिलाओं की साहसी पहल

मध्यप्रदेश के सिहोर जिले की जमुनिया तालाब ग्राम पंचायत की गीता राठौर 1995 में आरक्षित सीट से सरपंच चुनी गई। अपने इस कार्यकाल में राठौर ने अपने काम से ग्रामीणों को मोहित कर दिया। परिणामस्वरूप 2000 में जब वह गैर–आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए आगे आई तो किसी अन्य प्रत्याशी को चुनने के बजाय लोगों ने उन्हें ही पुनः सरपंच चुन लिया। 1995 से पहले यदि गीता के व्यक्तिव पर गौर फरमाया जाए तो वह एक कुशल गृहणी के अलावा गांव के मामलों से दूर रहने वाली, अपनी गृहस्थी में निमग्न एक आम महिला थी। लेकिन आज उन के पास एक पंचायत की जिम्मेदारी है। अब उनका कौशल राजनीतिक प्रबंधन में देखा जा सकता है। मौके को चूकना वह नहीं जानती। यह उनकी कुशलता ही कही जाएगी कि आज जमुनिया तालाब पंचायत हर मामले में संपन्न है बच्चों का स्कूल हो या पेयजल की सुविधा या फिर वहां की सड़के–हर चीज दुरूस्त नजर आती है।

स्थानीय शासन व्यवस्था की बुनियादी इकाई के रूप में पंचायत की भूमिका अहम होती है। पंचायतों के लिए सरकार कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराती है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई योजनाएं पंचायत की जमीन पर उतर नहीं पातीं। गीता राठौर ने इस दूरी को पाट डाला। और वे सभी सुविधाएं पंचायत को उपलब्ध करवाई जो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से संभव हैं इसके बाद जारी महिला उत्पीड़न जैसे मामले पर उन्होंने सख्ती से पाबंदी लगाई। इतना ही नहीं घरेलू हिंसा तक का निपटारा भी वह बड़ी सफलता से करती हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और वृक्षारोपण को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। इन कारनामों का ही परिणाम है कि आज गीता राठौर महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गयी हैं।

उदाहरण 3

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीकः सोजरबाई

सोजरबाई सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक प्रतीक बन गया है। मध्यप्रदेश के हरदा जिले की ग्राम पंचायत रामटेक की अनुसूचित जाति के बलाई समुदाय की सरपंच श्रीमती सोजरबाई के संघर्ष का ही परिणाम है कि जनपद पंचायत खिरकिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया जा सका। यद्यपि पंचायत राज

व्यवस्था के अंर्तगत पंचायत इकाइयों को कई अधिकार दिये जा चुके हैं, किन्तु कई मामलों में नौकरशाही अभी भी हावी है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद इसी श्रेणी में माना जा सकता है। यहां जनपद स्तर पर शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति, हितग्राही योजनाओं एवं ग्राम पंचायतों को वित्तीय आवंटन के मामले में यह सदैव विवादास्पद रहा है। कहा जाता है कि प्रदेश की अधिकांश जनपद पंचायतों में इस पद पर नियुक्त अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने कई नये नियमों के जरिय वित्तीय आवंटन में इनकी भूमिका को कम करने के प्रयास किये, जिसके अंतर्गत सरकार ग्राम पंचायतों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि आवंटित करती है। किन्तु भ्रष्टाचार को रोकने का सही उपाय लोगों एवं जन प्रतिनिधियों की जागरूकता में है। रामटेक की सरपंच सोजरबाई इसका सबूत हैं, जिन्होंने निरक्षर एवं समाज के निचले तबके की होते हुए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की एक मिसाल कायम की है।

जिम्मेदारी से हिम्मत आयी

अपनी 5 एकड़ असिंचित जमीन और खेतीहर मजदूरी के जरिये 6 बच्चों का पालन–पोषण करने वाली सोजरबाई ने 3 अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले करीब साढ़े चार सौ मतों से चुनाव जीत कर पूरे खिरकिया ब्लाक में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सरपंचों की श्रेणी में सबसे ऊपर अपना नाम दर्ज करवाने में सफलता प्राप्त की थी। इससे पहले वे पंचायत के किसी भी पद पर नहीं रहीं। जब आदिवासी–बहुल इस पंचायत का सरपंच पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हुआ तो गांव के लोगों के कहने पर वह चुनाव में खड़ी हुई। सोजरबाई बताती हैं कि सरपंच बनने से पहले मैं एक बार भी खिरकिया नहीं गयी थी। लेकिन जब सरपंच की जिम्मदारी सिर पर आयी और कुछ लोग मेरे पद का गलत फायदा उठाने लगे तो मैंने खुद आगे आने की हिम्मत जुटायी। अब मैं स्वय महीने में 8-10 बार खिरकिया जाती हूं और पंचायत के लिए नयी–नयी योजनाओं की जानकारी लेती हूँ। प्रशासन के साथ होने वाली दिक्कतों के बारे में सोजरबाई बताती है कि खिरकिया जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कई सरपंच और नेता परेशान थे। लेकिन सब उससे डरते थे सभी लोग उसको रिश्वत देकर अपना काम करवाते थे। कोई भी उसके खिलाफ शिकायत नहीं करता था। लेकिन सोजरबाई ने चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी।

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)

उदाहरण 1

महिला नहीं पंचायत प्रधान के नाते काम करती हूँ

पंचायती राज अधिनियम के लागू होते ही महिलाओं को भी आरक्षण मिला। आज पूरे देश

में महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था को संभालने के काम में लगी हुई हैं। इस क्षेत्र में हालांकि समस्याएं भी बहुत हैं लेकिन महिलाओं ने बहुत कुछ कर भी दिखाया है। हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा जिले की डोहग देहरियां विकास खण्ड देहरा की ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रूमा कौंडल से पंच परमेश्वर ने एक बातचीत की।

33 वर्षीय रूमा कौंडल दसवीं पास हैं और उनके पति श्री जगतराम कौंडल वन विभाग में रक्षक के पद पर कार्यरत हैं। खेती–बाड़ी का काम सक्रिय रूप से श्रीमति कौंडल घर के काम के साथ–साथ करती हैं। दूसरों के लिए काम करने की सोच और इसका अच्छा माहौल परिवार के हर सदस्य के दिल में देखा जा सकता है। 11 व 13 वर्षीय दो लड़कों की मां रूमा कौंडल कहती हैं पंचायत प्रधान का चुनाव उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए लड़ा। छोटे–छोटे मसले गांव स्तर पर निपटाना और जरूरत के आधार पर विकास करवाना जैसे विषयों की जानकारी भी रूमा को है। रूमा की राजनीति में कोई रूचि नहीं है परन्तु वे मानती हैं कि यदि प्रधान राजनीति में उलझेगा तो समझो विकास के कामों में रूकावट आयेगी। इसलिए राजनीति में आकर प्रधानों को विकास में रूकावट का कारण नहीं बनना चाहिए। रूमा को शुरू में सरकारी कर्मियों के साथ काम करने में हिचकिचाहट होती थी लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है। रूमा कहती हैं न केवल गांव की महिलाओं व पुरूषों से बल्कि सरकारी तंत्र से भी अब उनको अच्छा सहयोग मिलता है।

जाति विशेष के आचरण के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रूमा ने बताया कि वे जातिवाद पर विश्वास नहीं रखतीं अतः सबके लिए समान विकास की पक्षधर हैं।

रूमा का सपना है कि उनकी पंचायत आत्मनिर्भर, साक्षर और स्वच्छ बने। महिलाओं को प्रशिक्षण देकर पंचायती राज व्यवस्था समझाने की वे वकालत करती है कि पुरूषों को भी पंचायातों के काम–काज के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए गैर–सरकारी संस्थानों की भूमिका से वे भली भांति परिचित हैं।

उदाहरण 2

कुटीर उद्योगों की हिमायती हैं।

भूतपूर्व सैनिक की 55 वर्षिय पत्नी है श्रीमति कमला देवी। गत पंचायत चुनावों में वे कांगड़ा जिला के देहरा विकास खण्ड की गुम्मर ग्राम पंचायत के हटली वार्ड से पंच चुनकर आई हैं। यह वार्ड अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होने के कारण ही कमला को पंचायत में आने का मौका मिल सका। कमला देवी को हालांकि पंचायती राज अधिनियम की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पंचायत क्षेत्र की समस्याओं और उनके हल के बारे में वह अच्छी तरह से जागरूक हैं। कमला अपने वार्ड में पेयजल की समस्या को दूर करने, रास्ते पक्के करवाने और बेरोजगारी पर जीत पाने पर प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहती हैं। अब तक वे अपने प्रयासों से गांधी कुटीर योजना के तहत एक मकान, रास्ता पक्का करवाने और नल लगवाने के काम करवा चुकी हैं। उन्हें पंचायतें खुद योजना बनाएंगी व चलाएंगी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। पूर्णतः अनपढ़ता हालांकि इन के काम में बाधा नहीं लेकिन कागजी प्रक्रिया में अड़चन जरूर पैदा करती है। विधवाओं

के लिए कोई प्रभावशाली कार्य करने और अपनी पंचायत में शराबबंदी पर विशेषकार्य करना चाहती हैं। उनका कहना है कि गांवों में शराब ने समाज में महिलाओं को जिल्लत की जिन्दगी जीने पर मजबूर किया है। कमला देवी कहती हैं कि पंचायतों को सरकारी अनुदान बहुत कम मिलता है। वे पंचायतों में लघु उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारी दूर करने की वकालत करती हैं। देश की खुशहाली के लिए स्थिर सरकार बनाने का सपना वह जरूर देखती हैं।

उदाहरण 3

उखा देवी- एक सार्थक महिला प्रधान

एक विश्व–प्रसिद्ध, अनबूझ पहेली का नाम है रूपकुण्ड। एक ऐसा कुण्ड जो हिमालय की दुर्गम ऊंचाई (लगभग 17,000 फीट) पर स्थित है तथा जो साल में 11 महीने बर्फ से ढ़की रहती है। इसमें कंकालों के न पाये जाने की वजह से इसे "मिस्ट्री लेक" अथवा रहस्यमयी झील कहते हैं। इस मार्ग पर अंतिम में एक गांव है जो सड़क से 14 कि.मी. तथा 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

इस गांव में एक छोटी सी, अनपढ़ किन्तु दबंग महिला का निवास है। नाम है उखा देवी जो इस विशाल गांव आबादी; 1500-1200 राजपूत, 300 दलित की ग्राम प्रधान है। उखा देवी अनपढ़ हैं– उसे केवल अपने हस्ताक्षर करने आते हैं – किन्तु गांव की समस्याओं तथा महिलाओं की स्थिति पर उसकी पूरी पकड़ है।

सितम्बर, 1999 के अन्तिम दिनों में ग्राम पंचायत की एक मीटिंग के अवलोकन के दौरान, उखादेवी उस मीटिंग में अकेली महिला सदस्य थीं शेष सभी पुरूष। सभी वार्ड सदस्य उस पर अपने वार्डो में काम करने का दबाव डाल रहे थे। उखा देवी ने सबकी बातें सुनी और कहा, मैंने तुम तमाम पुरूषों की बात सुनी। तुम सभी खड़ण्जा, शौचालय तथा भवन निर्माण की ही बातें करते हो जबकि यहां मुख्य समस्या चारे व लकड़ी की है। अतः मेरे विचार से केवल एक महिला शौचालय बनेगा तथा बजट का शेष पैसा जंगल की चार दीवारी बनाने में खर्च होगा।

उखा देवी के इस कथन पर पुरूषों ने जोरदार विरोध किया। किन्तु उसने कहा कि कटाई का समय होने के कारण महिला सदस्य मीटिंग में नहीं आ पायी तो तुम लोग मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने जो कहा है वही होगा तथा गांव में ठेके की प्रथा नहीं होगी। शौचालय मैं स्वंय बनवाऊंगी तथा जंगल का जिम्मा महिला मण्डल दल का होगा। इसका अनुमोदन ग्राम सभा की बैठक में होगा तथा संपूर्ण आय व्यय का लेखाजोखा ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा।

उखा देवी का आत्म विश्वास देखने लायक था। जब तक मीटिंग खत्म हुई, शाम ढ़ल चुकी थी और उसे करीब 2 कि.मी. दूर अपने गांव जाना था। जब उन से पूछा गया कि वे कैसे जाएंगी? अरे यह मेरा सेक्रेट्री जो साथ है। उसने एक नौजवान की तरफ इशारा किया। उस सेक्रेटी ने एक बैग थामा हुआ था। यह मेरा चलता फिरता आफिस है, यह सारे नियम कानून मुझे पढकर सुनाता है, तभी मैं किसी कागज पर दस्तखत देती हूं।

कर्नाटक (Karnataka)

उदाहरण 1

दो बहिष्कारों के बाद बनी महिला पंचायत

आज की पुरूष प्रधान राजनैतिक प्रणाली में जहां महिलाएं एक ओर अपने राजनैतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं वहीं राजनैतिक सीढ़ी की कम से कम एक सबसे निचली सीढ़ी–ग्राम पंचायत–पर केवल महिलाओं का कब्जा होना अपने आप में एक सुखद संयोग ही कहा जाएगा। एक सर्व महिला ग्राम पंचायत कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के भद्रावती तालुका के म्यडोलालू गांव में है।

म्यडोलालू गांव शिमोगा जिला मुख्यालय से लगभग 25 कि.मी. दूर है। इस ग्राम पंचायत में म्यडोलालू गांव के अलावा दो अन्य गांव–मल्लापुर तथा कल्लाजनाल – भी हैं। ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 5,000 है। म्यडोलालू ग्राम पंचायत के अंर्तगत आने वाले तीनों गांव संपन्न हैं। लेकिन यहां के पुरूष आलसी तथा निकम्मे हैं तथा सारा कार्यभार महिलाओं के जिम्मे है।

ग्राम पंचायत में 11 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं तथा ये सारी महिलाएं हैं। वास्तव में पूरे कर्नाटक में यह इकलौती सर्व महिला ग्राम पंचायत है लेकिन इसका सचिव पुरूष है। कहा जाता है कि इस सर्व महिला ग्राम पंचायत के पीछे गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है। सभी महिलाओं ने पहली बार इस तरह की जिम्मेदारी संभाली है तथा उन्हें किसी पद पर कार्य करने का पहले से कोई अनुभव नहीं है। वे 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग में है तथा एक को छोड़कर सभी विवाहित हैं। गांव की जातिसंरचना जटिल है। ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधि पिछड़ी जातियों से हैं लेकिन शिक्षित हैं।

इन तीनों गांवों में चुनावों का दो बार बहिष्कार किया गया था क्योंकि पंचायतें निष्क्रिय थीं। लेकिन तीसरी बार उन्हें सरकार की ओर से एक नोटिस मिली कि यदि उन्होंने पुनः चुनावों का बहिष्कार किया तो प्रशासनिक तंत्र कार्य करने लगेगा और पचायत में एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी।

अंत में गांव वालों ने चुनावों के बारे में सोचा। लेकिन उन्होंने एक अलग तरह की ग्राम पंचायत के बारे में विचार किया। उन्होंने इसमें कुछ विशेषताएं शामिल करने का निर्णय लिया। और इस तरह से प्रयोगात्मक तौर पर जन्म हुआ एक सर्व महिला ग्राम पंचायत का ताकि महिलाओं को कुछ विशेष कार्य दिया जा सके।

गांव वालो से चर्चा से पता चला कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आदि के साथ सदस्यों के निर्वाचन में कोई अड़चन नहीं थी। सदस्यों के बारे में गांव वालों की राय अच्छी थी। उनका मानना था कि उनका कार्य संतोषजनक है तथा उनका रवैया सहयोगात्मक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि राज्य के पंचायती राज मंत्री से संपर्क करने के बाद भी उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिला। भविष्य में सर्व महिला ग्राम पंचायत के गठन के बारे में गांव वालों की राय बंटी हुई थी। उनमें से कुछ

का कहना था कि महिलाओं से उनकी शक्तियां वापस ले ली जाए। कुछ न कहा कि उस पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

सदस्यो के साथ बातचीत से पता चला कि उनमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पक्रिय प्रणाली है। इस तरह से सभी सदस्यों को मौका दिया जाता है। पहली बार अध्यक्ष श्रीमती तुंग बाई थीं, दूसरी श्रीमती सुशीला बाई थीं तत्पश्चात् श्रीमती बासम्मा हैं। जब सर्व महिला पंचायत का कार्य भार संभालने के बाद के अनुभवों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशासन संभालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हें पुरूषों की सहायता को जरूरत नहीं लगी।

जब महिलाओं से उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने सिलाई में एक प्रशिक्षण आयोजित किया। यह एक ऐसी गतिविधि थी जो ग्राम पंचायत में कभी भी पहले नहीं की गई। सड़कें, मार्ग प्रकाश और विद्यालय तथा जल सुविधाएं प्रदान करने के अलावा वे गांव में अरक की बिक्री तथा उपभोग बंद करने में सफल रहीं। गांव के लोगों के साथ महिला सदस्यों ने अरक की सभी दुकाने बंद करा दीं। उन्होंने यह भी फैसला किया कि जो कोई भी अरक पिए हुई मिल जाएगा उसे उस दिन गांव से बाहर भी रहना पड़ेगा।

सर्व महिला ग्राम पंचायत का एक फैसला यह भी है कि उन्होंने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने 41 घरों वाले भगवतकेरे गांव का चयन किया तथा सभी घरों में शौचालय उपलब्ध करा दिए। उन्होनें विश्व योजना भी चालूकर दी है तथा इस योजना के लिए धन राज्य सरकार से प्राप्त हो रहा है। कर्नाटक के पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री इन महिलाओं के कार्यें से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने निर्मल कर्नाटक योजना शुरू कर दी है।

अब इसे एक आदर्श गांव माना जाता है जिसे विदेशी भी देखने आते हैं। सर्व महिला ग्राम पंचायत के कार्य से प्रभावित होकर क्वेम्पू विश्वविद्यालय ने कुछ गांवों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से चलाया है। इस पंचायत ने एक गैर सरकारी संगठन अरिवू की सहायता की ताकि वह कन्नड़ में बधाई कार्ड बनाने के लिए ऋण प्राप्त कर सके।

म्यडोलालू में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो तीनों गांवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पहले स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर नहीं था तथा बीमारों की देखरेख नहीं हो पाती थी। लोगों की दशा देखकर गांव वालों के सहयोग से पंचायत ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखा कि यदि एक माह के अन्दर स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई तो स्वास्थ्य केन्द्र को सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तत्काल कार्यवाही करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने एक चिकित्सक की नियुक्ति स्वास्थ्य केन्द्र पर कर दी।

हर वर्ष पंचायत को प्राप्त होने वाली 10 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को दी जाती है। इस वर्ष रु. 10, 000 में से सदस्यों ने रु. 5,000 अम्बेडकर भवन को दिए तथा शेष धन का उपयोग अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के लिए बर्तन खरीदने के लिए किया गया।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में कई लड़कियां हैं जिन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सदस्यों

ने इन लड़कियों को ड्वाकरा से ऋण दिया है ताकि वे आय अर्जन के कार्यक्रम कर सकें। सिलाई का प्रशिक्षण देने के बाद अब उनका इरादा कढ़ाई का प्रशिक्षण शुरू करने का है। उनका इरादा गांव के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को धूम्ररहित चूल्हा उपलब्ध कराने का भी है। गांव में अरक पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब वे विदेशी मदिरा पर भी प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही हैं। जो भी शराब का उपयोग करता हुआ पाया जाएगा उस पर रु॰ 10,000 का अर्थ दण्ड लगाया जाएगा। इसी तरह जो भी शराब बेचने वालों या पीने वालों का पता बताएगा उसे रु॰ 2,000 को पारितोषिक दिया जाएगा। यह फैसले जल्दी ही अमल में लाए जाएंगे।

सदस्यों से चर्चा के दौरान यह पता लगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्यकाल काफी नहीं है। उनके अनुभवों के आधार पर अधिकतम समय सीखने तथा लक्ष्यों की प्राप्ती करने में लग जाएगा।

जब उनसे सचिव के साथ संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अच्छे हैं। उन्हें उससे कोई समस्या नहीं थी क्योकि वह काफी सहायोगी है। सदस्य तथा सचिव मिलकर वित्त का प्रबंधन करते हैं तथा सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण करते हैं। वे लाभार्थियों का चयन गांव के बुजुर्गों की सहमति से करती हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र के सभी गांवों में ग्राम सभा की बैठकें की हैं। उन्होंने पाया कि ग्राम वासियों की सहभागिता अच्छी है लेकिन पुरूषों की सहभागिता महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है।

सदस्यों ने गर्व के साथ कहा कि वे इतने प्रभावी ढंग से कार्य गांव वालों तथा अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से कर सकीं। उन्होंने कहा कि वे जिला तथा तालुका कार्यालय भी जाएंगी जब उन्हें कार्य कराना होगा। यह भी देखा गया कि सचिव तथा सदस्यों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं।

जब सचिव मुर्थप्पा का साक्षात्कार किया गया तो उसने मत प्रकट किया कि सभी सदस्य ठीक से कार्य करती हैं। उनका रवैया सहायोगात्मक है तथा संबंध अच्छे हैं। उसे उनके साथ काम करने में आनन्द आता है। क्योंकि वे संवेदनशील हैं तथा समस्याओं को बेहतर ढ़ंग से समझती हैं। वे वित्त का प्रबंधन कुशलता से करती है। वे पंचायती राज की जिम्मेवारियों के लिए सर्वथा योग्य हैं। उसका कहना था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा गांव की अन्य महिलाओं की सहभागिता अच्छी है। उन्हें अपने पतियों तथा अन्य पुरूष संबंधियों से अच्छा सहयोग मिलता है। उसे सर्व महिला ग्राम पंचायत तथा मिश्रित पंचायतों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन उसका मानना था कि सर्व महिला ग्राम पंचायत का कार्य अन्य पंचायतों के मुकाबले अधिक अच्छा है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इस सर्व महिला ग्राम पंचायत के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है उसका इस पंचायत के गठन में स्वार्थ है। कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने इस पंचायत के गठन को बढ़ावा इस लिए दिया कि उसका स्वार्थ सिद्ध हो सके।

दूसरी ओर पड़ोस की मेत्रिकी तथा अंतपुरा ग्राम पंचायतों का कहना था कि म्यडोलालू की सर्व महिला ग्राम पंचायत उनकी अपनी पंचायतों से अच्छे ढ़ग से कार्य कर रही है। कारण है इस पंचायत की महिलाओं को अपने पुरूषों का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

पश्चिमी बंगाल (West Bengal)

उदाहरण 1

पश्चिमी बंगाल में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम तैंतीस प्रतिशत से अधिक है। यहां पर ग्राम पंचायत में 35, समिति में 33.7 प्रतिशत तथा जिला परिषद में 34.1 प्रतिशत महिलाएं सदस्य है।

इस प्रदेश की अकेली ग्राम पंचायत, जिसके सभी तेरह सदस्य व प्रधान महिला है का नाम कुटटीकरी है, जो मिदानपुरा जनपद के संकरील ब्लाक में है। इस पंचायत ने अपनी आय बढ़ाने के लिए बड़े तालाबों को पट्टे पर बेचा है तथा पंचायत की सात एकड़ परती जमीन पर फूलों के बाग लगाए हैं। महिला व पुरूषों को स्वरोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किये। प्राथमिक व सेकेंडरी स्कूलों की हालत में सुधार कराया, हजारों किताबे मुफ्त में विद्यार्थियों को वितरित कराई। सैकड़ों बच्चे, जिन्होंने स्कूल जाना बन्द कर दिया था, उन्हें पुनः प्रवेश दिलाया। विभिन्न संयुक्त जमीन के पट्टे वितरित किये। ग्राम पंचायत में नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकें हुई तथा उनकी कार्यवाही भी प्रभावित हुई। पंचायत के आय–व्यय के व्यौरे व भावी कार्यक्रमों पर खुलकर चर्चा हुई जो उदाहरणीय है।

केरल (Kerala)

उदाहरण 1

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री बाबागौड़ पाटिल ने जब केरल की पंचायती राज व्यवस्था को अन्य राज्यों के लिए भी आदर्श और अनुकरणीय बताया तो यह अनायास नहीं था। श्री पाटिल ने 26 अक्टूबर को त्रिवेन्द्रम में अपने मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के बाद केरल में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा की और वहां केन्द्रीय ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के संदर्भ में अपनी टिप्पणी भी की।

वास्तव में केरल में पंचायती राज व्यवस्था में जिस ईमानदारी के साथ विकेन्द्रीकरण तथा वित्तीय साधनों के बंटवारे की व्यवस्था की गई है, अन्य राज्य सबक ले सकते हैं।

केरल में किया जा रहा प्रयोग इस दृष्टि से भी अनूठा है कि न केवल पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार–सम्मान और कारगर बनाया गया है वरन् राज्य सरकार ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित योजनाओं को पंचायतों की योजनाओं के साथ समेकित करने का अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला भी किया है। केरल ऐसा फैसला करने वाला पहला राज्य है।

राज्य में पंचायती राज प्रणाली की एक उल्लेखनीय बात यह है कि यहां त्रि–स्तरीय पंचायत व्यवस्था, ऊपरी पंचायत द्वारा निचले स्तर की पंचायत पर अंकुश रखने की परम्परा से हट कर है। यहां प्रत्येक स्तर की पंचायत दूसरी पंचायत से स्वतंत्र है तथा इसके कार्यों और अधिकारों का निर्धारण स्पष्ट रूप से किया गया है। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि उनके बीच परस्पर समन्वय की अवहेलना की गई है। समन्वय की दृष्टि से यह व्यवस्था की गई है कि निम्न स्तर के पंचायती निकाय का अध्यक्ष उच्च पंचायत का पदेन सदस्य होता है। इतना ही नहीं, उसे उच्च पंचायत में विभिन्न पदाधिकारियों के चुनाव तथा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अवसर पर मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया है।

केरल सरकार ने पंचायत, ब्लाक तथा जिला स्तर की अधिकांश संस्थाओं को सम्बद्ध पंचायत के सुपुर्द कर दिया है। इन संस्थाओं और कार्यालयों के हस्तातरंण के साथ ही सभी कर्मचारी तथा चल व अचल सम्पत्ति भी सम्बद्ध पंचायत को सौंप दी गई। इससे पंचायत को कामकाज में वांछित स्वायत्त्ता प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार भी पंचायतों के काम में दखलन्दाजी नहीं करती है। कानूनी दृष्टि से राज्य सरकार को पंचायतों के प्रस्ताव रद्द करने या निलम्बित करने या पंचायतों को भी भंग कर देने का अधिकार प्राप्त हैं परन्तु सरकार सिद्धान्ततः इन अधिकारों के इस्तेमाल के विरूद्ध हैं। राज्य सरकार ने अधिकार किसी अधिकारी को सौपें भी नहीं हैं। यह नियम सामान्य रूप से माना जाता है कि विकास संबंधी किसी भी फैसले को उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्ति या संस्था द्वारा बदला न जाए।

राज्य में 1995 में त्रि–स्तरीय पंचायत प्रणाली लागू होने से पहले ग्रामीण विकास योजनाओं पर अमल के लिए पंचायतों की भूमिका अत्यंत सीमित थी। केरल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। इसके बाद दोनों संस्थाओं के विलय का फैसला भी कर लिया गया है जोकि लागू होने की प्रक्रिया में हैं। अब पंचायतीराज संस्थाएं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों, परियोजनाओं, उनके अमल के स्थान के चुनाव तथा अमल पर निगरानी जैसे अहम् मसलों पर निर्णय करने और आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है। विकेन्द्रीकरण करने व पंचायतों को अधिक सम्पन्न करने का लिए वित्तीय स्वायत्त्ता की तरफ भी ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आने वाला धन इस पंचायत कोष में हस्तांतरित किया जाता है। इसके अलावा राज्य के स्थानीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से दी जाने वाली अनुदान सहायता को भी कोष में हस्तांतरित किया जाता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के अंतर्गत केरल सरकार ने अपनी योजना राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। राज्य की 3,100 करोड़ रूपये स्थानीय निकायों को आवंटित किए गए हैं। इसमें से 950 करोड़ रूपये की राशि स्थानीय स्तर पर योजनाएं तैयार करने और उन पर अमल के लिए अनुदान के रूप में हैं। अनुदान के उपयोग के लिए मोटे तौर पर सीमाएं निर्धारित हैं। पंचायतों को कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा उत्पादक क्षेत्रों में तथा अधिकतम 30 प्रतिशत ढांचागत मदों पर खर्च करने को कहा गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह राशि वास्तव में पंचायती राज संस्थाओं तक पंहुचे तथा इन्हें अन्य मुदों पर खर्च करने की गुंजाईश न रहे। इसका एक अभिनव तरीका खोजा गया है कि राज्य सरकार के

वार्षिक बजट के एक परिशिष्ट में प्रत्येक पंचायत के नाम पर वह राशि दिखाई जाती है जोकि उसे हस्तांतरित की गई हैं।

पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की दृष्टि से पंचायती राज कानून में ही पंचायतों को संसाधन जुटाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए पंचायतों को कोष देना होता है। कानून के अंतर्गत पंचायतों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही एक संस्थान स्थापित करेगी।

केरल में पंचायती राज व्यवस्था की सफलता का प्रमुख कारण राज्य की जनता जागरूकता बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रही है। पंचायतों में कामकाज के तौर तरीकों और लोगों के अधिकारों के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों में आम आदमी की भाषा में विज्ञापन दिए गए। एक जन आंदोलन के रूप में स्थानीय प्रशासन विभाग के मंत्री की तरफ से एक पत्र घर–घर पंहुचाया गया। इस पत्र में पंचायत व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों के कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। अब राज्य सरकार ने विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य विकास परिषद की स्थापना का निर्णय भी किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद में विपक्ष के नेता को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा तथा मंत्री और पंचायतों के अध्यक्ष व कुछ अन्य पंचायत प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगें।

लोगों को कानूनों और अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के साथ ही यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सफलता के साथ किया जाए। इस दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई। योजना की कार्यविधि को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया। उदाहरण के लिए निर्धारित कार्य सूचि को लिया जा सकता है :

1. ग्राम सभा द्वारा गत वर्ष पेश किए गए प्रस्तावों में उल्लेखित विभिन्न विषयों पर कार्यदल विचार करेंगे और ठोस परियोजना प्रस्ताव तैयार करेंगे।
2. इसके बाद ग्राम सभा इन प्रस्तावों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगी।
3. इन परियोजनाओं पर पंचायत स्तर पर आयोजित गोष्ठियों में चर्चा की जाएगी।
4. पंचायतें योजना को अंतिम रूप देंगी।
5. सरकारी अधिकारियों तथा गैर–सरकारी विशेषज्ञों की समिति द्वारा गहरी पड़ताल के बाद जिला पंचायत समिति, योजना को मंजूरी देगी। विशेषज्ञ समितियों को प्राथमिकताएं बदलने का अधिकार नहीं है। वे परियोजना की लागत और उस पर अमल करने के तरीकों में कमियों को ठीक कर सकती है।

पंचायतों द्वारा योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस वर्ष अक्टूबर तक का समय दिया गया था। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने यह शर्त लगाई थी कि यह कार्य पूरा होने के बाद ही केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के उपयोग का प्रतिशत कम था। राज्य सरकार को विश्वास है कि अगले तीन–चार माह में पूरी आंवटित राशि का सदुपयोग हो जाएगा।

केरल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की सफलता की दिशा में व्यवहारिक उपायों का सहारा लिया है। इस धारणा को मार्ग दर्शक बनाकर कार्यक्रमों को सफलता की राह पर ले जा सकती है। कई राज्यों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की अवहेलना के निराशाजनक परिदृश्य के बावजूद केरल का अनुभव इस व्यवस्था की सफलता और ग्राम स्वराज के सपने को साकार होने की उम्मीद जगाता है।

आंध्रा प्रदेश (Andhra Pradesh)

उदाहरण 1

करूणा, एक स्नातक है, उसने अपने विद्यार्थी जीवन से ही भागीदारी करना शुरू कर दिया था। वह "पूर्ण साक्षरता आन्दोलन" में समूह मुखिया के रूप कार्य किया। इस कार्य के दौरान वह आम जनता के नजदीक आ गई। वह आंध्रा प्रदेश के नालगोड़ा जिले के चिमवेनला मण्डल की तरफ से आम सीट के लिए चुनाव में खड़ी हुई बाद में मण्डल परिषद की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई।

निर्वाचन के पश्चात इस महिला ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। सरकार तथा अन्य उच्च अधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ा क्योंकि वह अनुसूचित जाति से है तथा स्त्री है। सभी समस्याओं का सामना करने के पश्चात उसने अपने मण्डल के विकास की दिशा में काम करना आरम्भ किया, उसने पीने के पानी की समस्या, खेतीबाड़ी, शिक्षा आदि विषयों पर काम करना आरंभ किया। विघ्नों, विप्पत्तियों का सामना करते हुए उसने अपने लोगों के समर्थन में कार्य किया।

उदाहरण 2

आंध्रप्रदेश के करनूल जिले के कालवा गांव की सरपंच, फातिमा बी को गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा गरीबी हटाने के लिए पुरस्कार मिला।

फातिमा बी की शादी 14 वर्ष की आयु में हो गई थी। उनके तीन बच्चे हैं वे कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थीं। किन्तु जब पंचायत में चुनाव का समय आया और सरपंच के पद के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो फातिमा बी को उनके पति ने प्रोत्याहित किया तथा वे चुनाव जीत गईं।

आरंभ में उन्हें सरकारी कामकाज की ज्यादा जानकारी नहीं थी वे केवल अंगूठा लगाती थी तथा उनके पति कागजों तथा सरकारी कामकाज का ध्यान रखते थे। उन्हें धीरे–धीरे अपने औहदे का ज्ञान हुआ और समझ में आया कि उनके पास स्वयं निर्णय लेने की सारी शक्तियां हैं उन्होंने

अपने गांव के विकास की ओर ध्यान देना शुरू किया। गांव में पक्की सड़क, चैक बांध का निर्माण करवाया। उन्होंने गांव के लिए एक नया भवन भी बनवाया, सड़क की पुरानी इमारत की मरम्मत भी कराई। गांव की महिलाओं से 30,000 हजार रूपये इकट्ठे किए तथा "जन्म भूमि विकास कार्यक्रम" के अर्न्तगत सिंचाई खोदने तथा परती खाली भूमि को खेती के लिए साफ कराने का काम हाथ में लिया। उन्होंने गांव के लोगों को थोड़ी–थोड़ी बचत के लिए प्रोत्साहित किया। जिसके फलस्वरूप एक साल के अंदर 300 सदस्यों वाले 40 बचत तथा आत्म सहायता वर्ग बनाए गए। इसी कार्य को बढ़ावा देते हुए एक साल के अंत में 2 लाख रूपये बचा कर गांव के विकास में लगाए गए। ग्रामीणां के इस प्रयास से प्रभावित हो कर संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना ने ग्राम विकास संगठन को 12 लाख रूपये का ब्याज ऋण मुक्त दिया। इस ऋण से कई घरों को रोजगार मिला।

Example 3

Sivaleela-Manager of a tent House

The face of rural Andhra Pradesh is changing with women becoming economically empowered and aware following the successful implementation of DWCRA.

Thanks to the DWCRA Scheme, the women who till recently looked to their men folk for everything were now playing a vital role in decision-making not only in their home front but also outside.

Sivaleela from Nedunoor village in Rangareddy district is an elected president of a Mahila Mandal of 40 members. The members started saving in 1990 and rotating the amount for their consumption and health needs. DWCRA scheme was sanctioned in 1993 and Rs. 15,000 was released to the members as revolving fund.

Members of the group have established a tent house at Nedunoor and began lending articles like kits and chairs to the neighbouring villages. Commenting on the economic betterment Sivaleela said, "Before joining the scheme we used to struggle to earn money. Today we are confident of getting any amount from the group."

The general refrain of several women at Ravirala, Harseguda, Utlapalli and Nedunoor villages of Rangareddy district were that monthly income had gone up and they are able to eat better after joining the scheme.

Previously we used to struggle to buy even a blouse piece. Now we are not only in position to have nutritious food and wear decent clothes but also can afford to spend on festive occasions, remarked Jaysamma one of the socio-economic transformation brought about in their lives.

Example 4

From begging to Prosperity

A group of nomads belonging to Banda caste reside in Bongabavi Sangam of Singarayakonda Mandal of Prakasam district. Their main economic activity was either

to beg around in the villages or make wigs from the hair collected by the housewives by charging Rs. 25 for one wig. This activity is however, occassional but their regular source of livelihood was begging.

For last two years the scenario has changed, thanks to the DWCRA schemes and the active role of Mrs. K. Visalaxmi, additional gram sevika (AGS) who motivated the Banda women to form a group and use their skills in wig and rope making activities.

The women under the leadership of Mrs. P. Polaramma formed the DWRCA group in 1993-94. With the grant received the group members buy human hair from local housewives, Nearby temples, and from local hair cutting saloons @ Rs. 30/- per kg. In every cycle of the wig and rope making, the group purchases 50 kgs. of hair and pay Rs. 100 for transportation. 12 members of the group are engaged in wig making and the net income is shared among them. Two members run petty shops in the village and earn nearly Rs. 20-25 every day.

The AGS, subsequently motivated them to save some of their income, and helped them in opening accounts in the local branch of a district cooperative bank.

The group members have saved so far Rs. 5,000 and have been providing petty loans to the members of the group who are sending their children to the primary school. Hitherto deprived and economically marginised group of women in Bongabavi Sangam village have, for the first time their life, experienced a sense of self pride through the intervention of DWCRA schemes. It is almost certain that in future their children will not roam around with a begging bowl.

Example 5

Sparkling Fragrance

In Chinamapally village of **Vetapalam Mandal** 15 women, belonging to scheduled castes, decided to form a DWCRA group under the leadership of **Mrs. T. Susheela.** These women were either sitting at home or were working as agriculture labour, during the sowing and harvesting of the crops. Most of the time during the year they had no permanent source of income.

The group decided to grow flower plants on small pieces of land they owned. They also convinced the male members of their families to spare some time and work on the land and help them in ploughing and watering the flower plants. Thus in 1993-94, the group started functioning as cohesive business group with an assistance of Rs. 15,000 from the DWCRA scheme. Plucking of flowers, selling them in the market, value addition by making them into garlands, are done by all the members of the group at a common place in the village. Each member of the group is able to earn nearly Rs. 900-1000 every month from this activity. The initial amount of Rs. 15,000 has so far been rotated thrice (Rs. 32,000 till August 1995) and the group has saved Rs. 12,000 over a period of two years. The members can borrow money from the saving by paying an interest.

A subtle transformation has taken place in the village and the women, who were depending on the male members of the household for each and everything, are in a position to decide about their own income from land, saving and can stand on equal footing with their male counterparts. A perceptible self confidence and self respect for themselves, their families and their profession was noticed during the interactions when asked "do you pay any money to the men folk who work on the fields for you", the prompt and emphatic answer was "no". The logic given was that "we already give them breakfast and meals three times a day; then why should we pay them cash". Evidently, the men folk have decided to reconcile with the feminine dominance.

Example 6

Rope making by DWRCA group

This is an income generating activity (IGA), which does not require large investment except raw material (i.e. plastic wire/jute). This does not require any skill. The women beneficiaries approach civil contractors and get the plastic cement gunny bags, later making ropes. In case jute is grown in their field as a mixed crop with sugarcane and pulse, the fibre of the jute is sued for making ropes of required lengths. The income generating activity can be done at home without disturbing their other routine.

Example 7

Towards prosperity - stitch by stitch

Kapplrala village of Tamasi Mandal of Adilabad district one hears the sound of sewing machines. Mrs. Chandra Baga, an ex-member of gram panchayat was unanimously elected group leader of women who throught of pursuing an economic activity for improving their financial status. The DRDA, Adilabad chose to finance five sewing machines under the Integrated Rural Development Programme (IRDP) in the village in 1984-85. It also chose to help in procuring raw material, viz., the cloth, and sewing ware. Mrs. Chandra Baga tells us that this help did not take them very far. Only after they formed the saving groups, which not function under the name and style 'Adilaxmi Saving Group' there was a perceptible change in the living style of women. The saving accumulated at the rate of Rs. 20 per member gave them leaverage to choose their expenditure patterns. These savings were matched by DRDA under DWCRA scheme with Rs. 6,000 (at the rate of Rs. 500 per member) for this group of twelve members.

The group leader along with other two members went to Adilabad and purchased cloth in wholesale market for manufacturing ready-made shirts and knickers (shorts) for school children. A few of them have craft skills to make the jeans (ornated satin cloth covering the hump of the ox or buffalo). Such women have been able to buy the retail material to prepare for an annual sale (as such decorations of animals are annual features). The sale price of such jean ranges from Rs. 800 to Rs. 1,200 per jean with a net profit of Rs. 250. Each lady makes three to four jeans and makes a net profit of

around Rs. 750 - Rs. 1,000. This, coupled with economics of scale secured from wholesale purchase of raw material for making ready made garments with DWCRA assistance has enhanced their capabilities to save, to gain self-esteem and also to plan from improvements to their own homesteads and for performance of marriage of Children.

To top it Mrs. Baga says that in her group except a single lady, all had been content with just three children, by adopting family planning operation. Each of the members can sign her name. She opens up a visitor's book for visitors to put down the experience with the group.

During our discession, we noticed, interestingly enough, their men folk were peeping from the windows intriguingly. Gone are the days when men were talking out while women were peeping through. The group leader contributed 50 per cent of the cost of black and white television set and the DWCRA scheme made a matching grant to install the TV in her house for the benefit of the group. The group members come and watch the TV programmes and they do not grudge the pride ownership of the small screen with Mrs. Baga when another member of the group was asked what she saves enough : a change indeed a great change.

The group members expressed full knowledge of the DWCRA scheme and full satisfaction with its implementation. They gratefully acknowledge the contribution of Mrs. Kamala in the formation of group in linking up the markets like the social welfare hostels and in helping realization of the money from the department of social welfare.

हरियाणा (Haryana)

उदाहरण 1

हरियाणा के फरीदाबाद जनपद होड़ल विकास खण्ड की ग्राम पंचायत वेधा पट्टी की महिला सरपंच ने अपने गांव की पानी की समस्या के लिए अपने सचिव को निर्देश दिया कि वे एस.डी. ओ. स्वास्थ्य से मिल कर गांव में पानी की व्यवस्था में सुधार की अपील करें। सचिव ने वैसा ही किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नही निकला। अंततः सरपंच स्वंय एस.डी.ओ. के पास गई और पानी की समस्या के समाधान के लिए विनती की किन्तु एस.डी.ओ. ने किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान करने की दिशा में बहुत ही उदासीन रूख अपनाया तथा कोई कदम नहीं उठाया। अंत में सरपंच ने कड़ा रूख अपनाते हुए हिदायत दी कि काम करना होगा अन्यथा शिकायत ऊपर तक की जाएगी परिणामस्वरूप एस.डी.ओ ने गांव में जल आपूर्ति की व्यवस्था कराई।

इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी ब्लाक की खाम्भी ग्राम पचायत की सरपंच ने सरपंच बनते ही ग्राम सभा की भूमि को उचित ठेके पर देकर ग्राम पंचायत की आय बढ़ाई। गांव में पंचायत की जो भूमि पांच साल के लिए 20,000 रूपये के ठेके पर दी जाती थी महिला सरपंच के पद संभालते ही वह भूमि दो साल के लिए 60,000 रूपये के ठेके पर दी जाने लगी।

Uttaranchal (उतरांचल)

Example 1

Feats unlimited: women sarpanchs on feet

She is in her mid—30's, a mother of four and a Dalit woman sarpanch who has studies till Std. V. **Urmila Dhonde** is proud of her background, proud of the administrative experience and insight. She has gained as sarpanch over the last three years. And now she is all the more proud of her ability to plan her daily battle with upper caste men, who cannot fathom why they would have to agree with her project proposals.

"Yes, they stall my proposals but I have learnt ways of circumventing their stonewalling tactics. I have learnt from NGOs how to deal with them. In Marhi village near Raipur, Chattisgarh, from where I come, I have my own supporters now. And I can fight them by counter-blocking what they want to get done in the village. Yes, my village is too remote, has never been much of development work and there is a lot to be done. I am still considered an untouchable by a few upper caste families. But things are changing."

Urmila has been in Delhi as one of the 400 participants of the Mahila Sarpanch Sammelan, hosted by the Guild of services with the help of the Public Affairs Department. The idea is to help set up a network of these sarpanchas from Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, UP, Uttaranchal, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Last evening, at the end of the three-day symposium, the women adopted a resolution for the countrywide sarpanch sanghatan.

Last afternoon, there was a colourful dais brimming at the Vishwa Yuvak Kendra. Yes, there were a few Ghunghats. But most were demanding a right to share their individual experiences as a sarpanch. The mike was travelling from hand to hand. A woman in a brown and red lengha from Rajasthan wanted to brag a little about what she had achieved. Another, in a black salwar kameez from Uttar Paradesh, had a few administrative problems and she wanted advice desperately.

The discussion veered around to whether women of rural India have a yet secured the right to decide on the size of the family. There was a brazen few who said "no". A few on the dais saw a few men sneaking into the auditorium and clammed up. But when the discussion became more lively, they shed their inhibitions and joined in.

Sunheri Devi from **Alwar** in Rajasthan said she had no such right in her time and had no option but to be the mother of three. But her daughter in law had chosen to have a single child. It appeared that women in Rajasthan have gained immensely from the 73rd amendment. They were the most candid of the lot. Suvidha, also from Rajasthan, said the banon men seeking public office despite have more than two children should be enforced rigorously. Explained Mira Khanna, joint secretary, and Guild of services : "times are changing. There are several women who have been re-elected from general seats. They explained there were several reasons for this. The small electorate in vil-

lage was getting to see that women were less corrupt. Secondly, women probably understood issues concerning health, education and water better than men."

Kahanna's logic is that grassroots democracy becomes more genuine with the participation of women. "When you have a women sarpanch, the women in the village can approach her directly without any problem."

And if Urmila was a striking example of how Dalit women were fighting it out, there was also the example of unmarried Sita Sharma, a double MA in political Science and Hindi who thought she should devote her time for the development of her district, Tonk, in Rajasthan. She is Zilla parishad member and when the male pramukh of the parishad was routing funds straight to her male village sarpanch without consulting her, she put her foot down. Now, she has to be consulted before they channelise funds.

The women also provide another form of contrast from Himachal Pradesh and Uttaranchal. As Parvati from remote jhuni village close to Pindari glacier in Bageshwar district explained, she had never experienced the kind of bias women from the plains were talking about. Her problem was development. There was very little education in her village where food still had to be carried on mule back. She had been elected five months ago and was working hard to gift her village a road.

उदाहरण 2

उतरांचल की पहाड़ी क्षेत्र, गढ़वाल की तराई इलाका, देहरदून जिले के अन्तर्गत, डोइवाला ब्लाक का हिस्सा है गांव अठुरवाला। इस गांव में रह रहे वासी किसी जमाने में टिहरी जिले के निवासी थे। लेकिन टिहरी बांध परियोजना के चलने पर इन लोगों को टी.एच.डी.सी. द्वारा डोइवाला ब्लाक के क्षेत्र में पुनः बसाया गया। यह क्षेत्र विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र कहलाया गया। इस क्षेत्र में छोटे व बड़े गांव मिलाकर कुल एक ग्राम सभा बनाई गयी। ग्राम सभा की महिला उम्मीदवार श्रीमती मंजू चमोली चुनाव क्षेत्र में उतरी, उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर निडरता से अपने काम को सही अंजाम दिया है। उन्होंने अपनी ग्राम सभा के लिए अनेकों काम किए हैं। नहरों का, नयी सड़कों का, ट्यूबवैल का निर्माण करवाया व युवकों को बैकों से उचित ऋण दिलवा कर अपना व्यवसाय खोलने का मार्गदर्शन किया।

वह एक चुस्त, ईमानदार, तेज व समझदार महिला हैं। उनके इन्हीं गुणों की वजह से वे अपने ग्रामवासियों की सफल महिला प्रधान हैं। उन्होंने अपने इस कार्यालय में अपनी ग्राम सभा में अनेक कार्य किये। महिलाओं के लिए सिलाई केन्द्रों की स्थापना की और समाज में उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलायी। गांव की अनपढ़ महिलाओं व पुरूषों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना की, जिससे कि गांव के अनपढ़ महिला और पुरूष शिक्षित हो सके। उन्होंने दहेज के लिए सतायी गई महिलाओं के लिए आवाज उठाई और उन पर हो रहे अत्याचारों से मुक्त करवाया ब्लाक में आयी योजनाओं को ब्लाक अधिकारी की सहायता से अपने ग्राम में क्रियान्वित किया। पशु ऋण लेकर गांव में महिला बचत समूह खोलकर डेरी खोली गयी और उससे प्राप्त आय के एक हिस्से को गांव के विकास में खर्च करवाया। अब गांव में हो रहे छोटे मोटे झगड़ों को गांव वाले मिल कर सुलझाते हैं। समय–समय पर गांव का सर्वे किया जाता है, जिसमें डाक्टरों के दल घर घर जाकर सभी को देखते हैं व उचित मूल्य पर दवाईयां दिलाते है।

राजस्थान (Rajasthan)

उदाहरण 1

राजस्थान में महिलाओ ने पंचायत में सदस्यता हासिल करने के बाद ही कार्यकारी कदम उठाना आरम्भ किया है। जयपुरा जिले की ग्राम पंचायत, गोविन्दगढ़ की सरपंच, 46 वर्षिय अचूकी देवी ने चुनाव जीतने के बाद गांव में सामाजिक समस्यओं को सुलझाने के विचार पर बल दिया। वे अपने गांव में स्वच्छता, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थय सुविधा आदि का पूरा ख्याल रखती है। यद्यपि वे कक्षा–6 तक पढ़ी लिखी हैं किन्तु उनका मानना है कि लड़का–लड़की में कोई भेद नहीं होता। उनका कहना है कि लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। उनका विवाह 18 वर्ष के पश्चात ही करना चाहिए। यही उनके विवाह के लिए उचित आयु है।

- वे दहेज प्रथा के एकदम खिलाफ हैं उनका कहना है कि दहेज प्रथा समाज के लिए कोढ़ के समान है। दहेज उनमूलन के लिए सर्वप्रथम वे लोगों को शिक्षित करेंगी ततपश्चात लोगों को जागरूक करेंगी ताकि महिलाओं पर अत्याचार न हो। दहेज प्रथा के विरोध में कार्यवाही आरंभ करेंगी।
- उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वे पर्दाप्रथा के सख्त खिलाफ हैं।

अचूकी देवी ने गरीबों व महिलाओं के लिए विशेष रूप से कार्य किया है। आज गोविन्दगढ़ की महिलाएं सिलाई–चरखा कातना, स्वेटर बुनाना, मजदूरी आदि कार्य करके अपना रोजगार चलाती है। कुछ और सफलता गाथाएं है जो कि महिलाओं के अनुभव तथा सबक से ली गई है। जिनके चलते महिलाओं को भागीदारी करने के लिए विश्वास पैदा करने तथा कार्यकौशल दिखाने की भावना को बढ़ावा मिलेगा। सफलता गाथाओं का अवलोनक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह पंचायती राज के विषय पर अध्ययनरत महिलाओं को खोज की दिशा में नई दिशाएं दिखाने में सहायक सिद्ध होगा।

उदाहरण 2

दक्षिणी अजमेर के सूरजपुरा स्थान पर एक जन सुनवाई में गांव वालों ने शिकायत की कि विकास पर हुए व्यय के बारे में सरकारी लेखाओं की जो फोटोप्रतियां प्राप्त हुई हैं वे या तो बढ़ा चढ़ाकर पेश की थी या फिर जाली थीं। इनमें जो प्रमुख धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आए उनमें एक ऐसी सिंचाई–नहर थी जिसके निर्माण के लिए भुगतान किया गया था लेकिन वह नहर कभी बनी ही नहीं कुछ जाली हाजिरी रजिस्टर भी पकड़े गए जिनमें दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के नाम और उन्हें दी गई मजदूरी दर्ज थी। ये भ्रष्टाचार के प्रमुख स्त्रोत थे। यहां पहली बार, भ्रष्टाचार के विरूद्ध शांतिपूर्ण लोकतंत्रिय तरीकों से सामूहिक विरोध प्रदर्शित किया गया अजमेर से 30 किलोमीटर दूर उत्तर में किशनगढ़ में स्थिति कुछ भिन्न थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सरकारी प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए पंचायत के रिकार्डो को देखने के लिए 52 प्रार्थना

पत्र दिए। सरपंचों ने संयुक्त रूप में, सरकारी अधिसूचनाओं को नजरअंदाज करते हुए, पंचायत रिकोर्ड को जन–सामान्य को दिखाने का प्रतिरोध किया। इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि इस काम में सरपंचों को स्थानीय सरकारी तंत्र का समर्थन प्राप्त है। उप–प्रभागीय मजिस्ट्रेट एस.डी.एम. ने रेलवे स्टेशन के बाहर बैठक के स्थान को अनाधिकृत घोषित कर दिया जबकि बैठक के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। वहां लोगों को तेज धूप में बैठना पड़ा इस असुविधा के बावजूद लोगों में किसी प्रकार की कटुता की भावना नहीं पैदा हुई। मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रतिभाशाली गायक दल ने हमारा मनोरंजन किया। इससे उनका संदेश भाषणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह लोगों तक पहुंचा। उन की पसंद की कुछ तुकबंदियां निम्नलिखित थी :–

सोना चांदी, हम न मांगे। हीरो होण्डा हम न मांगे।

कोका कोला हम ना मांगे।

यह सूची बहुत बड़ी थी। उन्हें यहां मुफ्त नाश्ते, दोपहर के भोजन, कोका कोला आदि शीतल पेय और छोटे बड़े भ्रष्टाचार के लिए सभी प्रकार के सामान्य प्रोत्साहन की सामग्री दी गई। लयात्मक धुन में जो संदेश दिया गया था वह बदलकर कुछ निम्नलिखित हो गया –

मास्टर रोल, हम मांगे। बिल वाउचर हम मांगे।

फोटोकापी हम मांगे।

जैसा सूरजपुरा में देख गया था उसके विपरीत यहां सरकारी रिकॉडों पर आधारित कोई रस्योद्घाटन नहीं हुआ। सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों को सूचिबद्ध किया गया इसके लिए उनकी मनाही ने प्रश्न चिह्न लगा दिया। चार घंटे तक धूप में बैठने के बाद हम अपना विरोध प्रकट करने के लिए एस.डी.एम. के पास जुलूस में जाने के लिए तैयार थे। उसका दांव उलटा पड़ गया था। अब गांव वाले जिन सूचनाओं का पाना चाहते थे उसे पाने के लिए पहले से कहीं अधिक कृतसंकल्प थे। इसलिए हम साथ चलकर एस.डी.एम. के दफ्तर गए। हम नारे लगा रहे थे : हमारा पैसा, हमारा हिसाब। एस.डी.एम. वहां नही था और यह भी पता नहीं कि वह कहा था। सब लोग धरने पर बैठ गए। अंत में, तहसीलदार हमारा विरोध–पत्र लेने आया। उसने विश्वास दिलाया कि वह उसे एस.डी.एम. को दे देगा।

Gujarat (गुजरात)

Example 1

Hirabaiben: A women of substance

Hirabaiben Ibrahimbhai Lobi, 46, can barely sign her name but she is no ordinary woman. Through she did not contest any elections, she has emerged as a village

leader as a result of her work to improve the lives of her community, especially women. Her eyes sparkle with the dream of empowering her fellow women. This brave and compassionate woman has indeed come a long way. This is her story .....

Hirbai ben belongs to Jambur village in Talala taluka of Junagarh district in Gujarat. Ninety-eight percent of Jambur's population belongs to the Siddi community. Siddis are tribals of African origin, who were brought to India about 400 years ago as slaves for the king of Junagarh. In Jambur, siddis work as daily wage labourers in agricultural and non-agricultural occupations. Women are predominantly engaged in collecting and selling fuel wood from the Gir forest. They are poor without a sustainable livelihood. Some of them own 0.5 hectare of land but donot have resources to cultivate it. Richer farmers and money lenders for a nominal price have acquired some of their land.

Early life

Childhood was not easy, as Hirabaiben lost her mother at the age of four and her father when she was 14. Her grand mother brought her up teaching her three important lessons: not to steal, not to get involved in vices, and to feed her children with rightfully earned food.

After marriage, Hirabaiben settle in Jambur itself as her husband was landless. Though sons generally inherit land in this region, Hirabaiben received 0.5 hectares of land from her father, which she started cultivating with support from her husband. She had a large debt of Rs. 1 lakh on her land, and villagers advised her to sell her land to pay off her debt. However, Hirabaiben did not agree. She convinced her husband to work hard. In the absence of modern tools, they tilled the land manually and managed to pay off the debt after enormous efforts. Today, they have sufficient agricultural equipment, including irrigation facility, bullock cart and pesticide sprager. To strengthen her farming practices, Hirabaiben started listening to radio programmes on agriculture.

AKRSP (I)'s intervention

AKRSP (I)'s intervened in Jambur in 1991 by encouraging afforestation on common land to reduce dependence on the Gir Forest, where entry is illegal. The intervention did not succeed because of the negative attitude of the neighbouring village, with which jambur shared a gram panchayat. At this time, Hirabaiben helped in resolving tensions between the two villages, she then got **AKRSP(I)** to focus on the problems of women, who were the main earners in siddi households.

In 1993, **AKRSP (I)** took three women from Jambur, including Hirabaiben, on an exposure visit to Jhunagarh and Surendranangar districts to meet women who were successfully managing women's groups and taking up developmental activities. After the visit, Hirabai ben motivated women in her area to form similar groups. Later that year, after her sustained efforts, the first women's group was formed in Jambur. The group started addressing issues related to health and hygiene, savings, and credit and agriculture improvement. Hirabai ben, however did not stop at this once the group was

established, she motivated more women to form groups. Today, there are three groups of Siddi women in Jambur village, thanks to Hiabaiben's tireless efforts.

Hirabaiben achievements

- Hirabaiben not only promoted women's group in her own villages, she also motivated Siddi women in other villages to get organised. Today, 95 women from six villages have formed 12 groups.
- Realizing that education was a major problem of the Siddi community. Hirabaiben made tremendous efforts to get a day care centre started for small children. Initially supported by **AKRSP (I)**, hirabaiben submitted a proposal to the tribal development department of the Gujarat government. Today, children of Jambur village receive basic education at this centre.
- Hirabaiben persuaded the people of her village to use a part of their public land to start a pre-primary level school instead of using it for private hosing. District officials also supported her on this issue. Funds for the school were received from the tribal sub-plan of Gujarat and the school was built in 1996.
- Hirabaiben always approaches government without any hesitation, unlike the women of her community. For example, Jambur did not have its own revenue land, which was causing hardship to the villagers. Hirabaiben took up the issue with government officials and with her efforts, the village got revenue land in its name.
- Siddis find it difficult to borrow money even from moneylenders because of their low credit worthiness. Hirabaiben encouraged women's group members to save monthly. Today, the groups extend credit to members, are linked to a bank for their credit needs, and enjoy a good reputation with lending agencies.
- With support of **AKRSP (I)**, Hirabaiben and other Siddi women manufactured and sold organic compost to local farmers worth Rs. 100,000 in 2001. This earned them a profit providing confidence to prepare a high quality product that could compete in the open market.

Though she lost the election for village sarpanch, Hirabaiben plays a major role in motivating people of her helps resolve conflicts. She moves from village to village, encouraging women to break to shackles of illiteracy and suppression. It is not surprising that villagers call her "sarpanch" even through she holds no official position.

Hirabaiben has been honoured with awards and get invited to various forums to share her experiences. Government officials listen to her and respect her. In this way, she has become a role model and inspiration for members of her community.